

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या-FP/UP/ROAD/117639/2020

7.		परियोजना/स्कीम का स्थान-	पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या यू0पी067145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकाड़ी ओबरा डैम मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य में प्रभावित हो रहे 15.567हे0 वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
	I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	II	जिला	सोनभद्र
	III	वन प्रभाग	ओबरा वन प्रभाग
	IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	15.567 हे0
	V	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
	VI	हरियाली का घनत्व	0.1 (इको क्लास III)
	VII	प्रजाति वार (वैज्ञानिक का नाम) आर परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर संलग्न की जाए	कुल 34 वृक्ष प्रभावित हो रहा है। संलग्न है।
	VIII	भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है
	IX	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी-	शून्य
	X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं
	XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
	XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	नहीं
8.		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है
9.		क्या यूजर एजेंसी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कारवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं

10.		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इनकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, भू-खण्डों का आकार।	विवरण प्रस्ताव के साथ आन लाईन अपलोड किया गया है।
	II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित/वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	विवरण प्रस्ताव के साथ आन लाईन अपलोड किया गया है।
	III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	विवरण प्रस्ताव के साथ आन लाईन अपलोड किया गया है।
	IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	52.650 लाख
	V	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	विवरण प्रस्ताव के साथ आन लाईन अपलोड किया गया है।
11.		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विषेशतः उपयुक्त कालम 7 (VI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	विवरण प्रस्ताव के साथ आन लाईन अपलोड किया गया है।
12.		विभाग/जिला प्रोफाइल	
	I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788 वर्ग किलोमीटर।
	II	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग किलोमीटर
	III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	95 मामले/1489.959 हे०
	IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	1319.944 हे०
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	शून्य
	ख	वनेत्तर भूमि पर	—
		1980 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	क	वन भूमि पर	830.534 हे०
	ख	वनेतर भूमि पर	489.41
13.		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विषेश सिफारिश।	“पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या यू०पी० 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकाड़ी ओबरा डैम मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य में प्रभावित हो रहे 15.567 हे० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव पर नियमानुसार अनुमति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि

स्थान

हस्ताक्षर
नाम 
प्रभाग वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र